

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय-नया रायपुर

क्रमांक 864 /वित्त/ब-4/2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 25/09/2018


समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की संसूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 22.09.2017 को छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 18 सन् 2017) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4 विधेयक, 2017) पारित किया गया है। आपके विभाग से संबंधित अनुपूरक अनुमान का आबंटन संलग्न सूची के अनुसार सौंपे जाते हैं। कृपया निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के मदों में सर्वप्रथम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु एक औपचारिक आदेश निकालें। उक्त अग्रिम की सीमा तक प्रावधानित राशि का पुनः व्यय नहीं किया जाना है। इसका विशेष ध्यान रखें।
2. केन्द्रीय सहायता तथा अन्य एजेन्सी से राशि प्राप्त होने के आधार पर अनुपूरक अनुमानों में जो मद शामिल किए गए हैं, उनमें सहायता की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय करें।
3. ऐसे मद जिनमें अतिरिक्त अनुदान विभागीय बचतों से समर्पित किया जाना है, वहां समर्पण की स्वीकृति तत्काल जारी करें। समर्पण आदेश जारी किए जाने के पश्चात ही व्यय करना सुनिश्चित करें।
4. विभागीय बचत से व्यय की पूर्ति के मदों में आबंटित राशि में से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पुनर्विनियोजन करें तथा पुनर्विनियोजन के आदेश की एक प्रति प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार को भेजते हुए वित्त विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक ४६५ / वित्त / ब-४ / २०१७
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक २५/०९/१७

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
 3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, नया रायपुर की ओर द्वितीय अनुपूरक अनुमान २०१७-१८ की सी.डी. आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
 4. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
 5. समस्त निज सहायक, अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय
 6. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
 - ✓ 7. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, नया रायपुर
 8. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
- संलग्न:-सी.डी. सरल क्रमांक ३ के लिए


25-09-17

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी